Status of Implementation of recommendations contained in the Two Hundred and Nineteenth Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): Sir, I make a statement regarding Status of implementation of recommendations contained in the Two Hundred and Nineteenth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of Culture.

Status of Implementation of recommendations contained in the One Hundred and Eighty-First Report of the Ministry of Home Affairs

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी): महोदय, मैं संघ राज्य क्षेत्रों (दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली और चंडीगढ़) के प्रशासन के संबंध में गृह मंत्रालय के एक सौ अस्सीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर एक सौ इक्यासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

Status of Implementation of recommendations contained in the One Hundred and Eighty-Fifth Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I make a statement regarding Status of implementation of recommendations/observations contained in the One Hundred and Eighty-fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of Home Affairs.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Reported move by V.H.P. For construction of Ram Temple in Ayodhya

श्री के. सी. त्यागी (बिहार): सर, मैं आपके माध्यम से ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): सर, मैंने भी इसके लिए नोटिस दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री के. सी. त्यागीः मैं महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे समाजवादी आंदोलन के जो पुरोधा थे, डा. लोहिया ...(**व्यवधान**)... यह व्यवस्था तो आप कर सकते हैं। जब व्यवस्थाएं खराब होंगी तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी।

सर, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे डा. लोहिया। आजकल जो हमारे बाएं बाजू के मित्र हैं, उनको शिकायत होती है कि हम डा. लोहिया के रास्ते से कभी-कभी भटकते हैं, चूंकि उनको कई बार असुविधा होती है। मैं नेता सदन को स्मरण करा दूं कि डा. लोहिया हर साल चित्रकूट में रामायण मेला करते थे। उनका ऐसा मानना था कि राम के साथ जो मर्यादाएं जुड़ी हुई हैं, वे हिन्दू धर्म की आस्थाओं में विश्वास रखने वाले अन्य देवी-देवताओं के साथ नहीं हैं। भगवान श्री राम से आस्थाएं इतनी जुड़ी हुई थीं कि भगवान श्री कृष्ण, श्री राम से भी ज्यादा कई कलाओं में माहिर और व्यावहारिक थे, लेकिन सम्मान भगवान श्री राम का ही होता रहा। श्री राम को ही सबसे पहले 'मर्यादा पुरुषोत्तम' का खिताब भी मिला।

महोदय, जो पहला विश्व हिन्दू समागम हुआ, उसके अध्यक्ष, डा. कर्ण सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। उसमें भी राम मंदिर के निर्माण की बात उठी थी। अब ये उससे अलग हो गए हैं। जब श्री चंद्र शेखर जी प्रधान मंत्री थे, तब दिवंगत शेखावत जी ने भी इस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया था। यहां श्री शरद पवार जी बैठे हैं, वे इस बात को जानते हैं। जब हम जनता दल में थे, तब श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी ये सब चीजों 30 नवंबर को झेलनी पड़ी थीं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अब पुनः अयोध्या में वैसी ही परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। मैं समाचार पत्र का हवाला देकर कहना चाहता हूं, जिसका नोटिस नेता सदन भी लेंगे कि मंदिर-मस्जिद विवाद के पक्षकार निर्माणी अखाड़े के महन्त धर्मदास और कोई चम्पतराव नाम के मंदिर निर्माण कार्यशाला के प्रमुख हैं। उन्होंने 7 से 10 दिसम्बर तक डेरा डाला है और न्यास के कार्याध्यक्ष महन्त गोपाल दास का शिला पूजन दरअसल प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश है। सब जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी दस्तावेजों का अनुवाद भी नहीं हुआ है। ऐसे में माहौल गरमाने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सर, वर्ष 2017 में ...(**व्यवधान**)... वहां चुनाव होने हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. …(*Interruptions*)… Time over ...(*Interruptions*)… The rule …(*Interruptions*)… No, no. …(*Interruptions*)…

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, please allow him. Let him complete. …(*Interruptions*)… He represents the middle side …(*Interruptions*)… The House cannot be run by this side or that side …(*Interruptions*)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do? …(*Interruptions*)… It is Zero Hour submission …(*Interruptions*)… Now, please …(*Interruptions*)… Zero Hour mention is only for three minutes …(*Interruptions*)…

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)**:** सर, बहुत important विषय है। श्री त्यागी जी को बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री के. सी. त्यागी जी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने जो बात कही है ...(**व्यवधान**)... मैं उन्हें केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... सन् 1990 से लगातार चल रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister is responding. …(*Interruptions*)…

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, जो विवादित स्थल है, उससे वह लगभग डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा दूर है। ...(**व्यवधान**)... दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का, दोनों का मत है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान होना चाहिए और ...(**व्यवधान**)... हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे ...(**व्यवधान**)... इसलिए इसमें कहीं कोई confusion नहीं है। ...(**व्यवधान**)... जहां तक बात है ...(**व्यवधान**)... जिन महन्तों का नाम लिया गया है, जिन साधु और संतों का नाम लिया गया है ...(**व्यवधान**)... वे अयोध्या में रहते हैं ...(**व्यवधान**)... वहां उनके रहने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ...(**व्यवधान**)... और पत्थर को तराशे जाने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है ...(**व्यवधान**)... इसका मतलब यह नहीं है कि वहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... वह मामला न्यायालय में लंबित है। ...(**व्यवधान**)... न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए ...(**व्यवधान**)... और न्यायालय के फैसले का सम्मान हम भी करेंगे और उन्हें भी करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मुझे लगता है कि इस पर हमें और कोई विवाद नहीं करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री के. सी. त्यागी: सर, मुझे सिर्फ आधा मिनट और बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, there should be no need of any.. ...(*Interruptions*)… Shri. K. C. Tyagi …(*Interruptions*)… Zero Hour submission has only three minutes' time …(*Interruptions*)… I cannot allow. …(*Interruptions*)… It is not going on record. …(*Interruptions*)… Mr. K. C. Tyagi. …(*Interruptions*)… Now, please. …(*Interruptions*)… As per the norms accepted here, it is only for three minutes. …(*Interruptions*)… After three minutes, nothing will go on record. …(*Interruptions*)… So, what is the point in saying anything now? …(*Interruptions*)… It will not go on record. …(*Interruptions*)… Not only that; …(*Interruptions*)… Now Listen. …(*Interruptions*)… That is a different thing. …(*Interruptions*)… Not only that, the Minister has made it clear that the Government and their party will go by the Court verdict. …(*Interruptions*)… Then what is the confusion? …(*Interruptions*)…

प्रो. राम गोपाल यादव: यह पहले भी हो चुका है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, give notice for another discussion. ...(*Interruptions*)... राम गोपाल जी, नोटिस दीजिए। दूसरा डिस्कशन ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, मुझे एक मिनट के लिए अलाउ कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would say, all your names will be added as those who associate themselves with it. ...(*Interruptions*)... All those who are standing and supporting, their names may be included as those who associate themselves with

[Mr. Deputy Chairman]

the issue. ...(*Interruptions*)... What can I do? It is Zero Hour. You have not given a notice. ...(*Interruptions*)... नोटिस नहीं दिया है ...(**व्यवधान**)... He has not given a notice. ...(*Interruptions*)... This will not go on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Okay, let the House hear what is going on in the country. ...(*Interruptions*)...

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI PANKAJ BORA (Assam): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR (Nominated): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री मोहम्मद अली खान (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

†**جناب محمد علی خان (اترپردیش):** مہودے، میں مانیئے سدسیئے کے وکتوّے سے خود کو سمبدّ کرتا ہوں۔

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

†**چودھری منوّرسلیم (اترپردیش):** مہودے، میں مانیئے سدسیئے کے وکتوّے سے خود کو سمبدّ کرتا ہوں۔

† Transliteration in Urdu Script.

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री वी. हनुमंत राव (तेलंगाना) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

डा. संजय सिंह (असम) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती वानसुक साइम (मेघालय) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri K. C. Tyagi, the Zero Hour mention is only for three minutes. What can I do? ...(*Interruptions*)... What are you saying? ...(*Interruptions*)...

श्री के. सी. त्यागी : सर, मेरा निवेदन है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री मेघराज जैन (मध्य प्रदेश): जिनका नाम लिया गया है, उनका बरसों से वहां पर आश्रम है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have not given notice. What can I do? ...(*Interruptions*)... The Government has already made it clear. ...(*Interruptions*)... आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट सुनिए। ...(**व्यवधान**)... There is no notice. ...(*Interruptions*)... Why do you disturb the Zero Hour? ...(*Interruptions*)... मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)... The Government will go by the decision of

[Mr. Deputy Chairman]

the Court. Then, why do you agitate? ...(*Interruptions*)... The Minister has made it very clear that the Government will go by the decision of the Court. Then, what is the need for agitation? ...(*Interruptions*)... You please go back. It is unnecessary. ...(*Interruptions*)... I want to repeat that the hon. Minister has given an assurance that the Government would go by the Court's decision. Then, what is the need for this shouting and agitation? ...(*Interruptions*)... Everybody should obey the Court order. Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)... The House is adjourned for ten minutes.

The House then adjourned at twenty-four minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at thirty-four minutes past eleven of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)... Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)... Sir, point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. ...(*Interruptions*)... Yes ...(*Interruptions*)... What is your point of order? ...(*Interruptions*)... What is your point of order? ...(*Interruptions*)... Point of order is allowed. ...(*Interruptions*)... I allowed the point of order.

श्री प्रमोद तिवारीः सर, भारत संविधान से है। भारत का एक संविधान है। ...(**व्यवधान**)... संविधान के अनुसार यह देश चलता है और संविधान के अनुसार ही न्यायपालिका कार्य करती है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप रूल बताइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, the rule which constitutes the Supreme Court... (*Interruptions*)... Point of order. ...(*Interruptions*)... सर, सुप्रीम कोर्ट का यह निषेध है कि अगर something is pending in the Supreme Court, that is a *sub-judice* matter. That cannot be discussed. ...(*Interruptions*)... Nothing can be...(*Interruptions*)... सर, संविधान देखिए ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप बोलिए। What is your point of order?

श्री प्रमोद तिवारीः सर, संविधान के अनुसार जो मामला लंबित हो, अगर कहीं भी, कोई कार्यवाही उसके खिलाफ होगी, तो contempt of court होगा। ...(**व्यवधान**)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): सर, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... इन्हें अनुमति देने की जरूरत नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

श्री प्रमोद तिवारी : भारतीय जनता पार्टी के लोग ...(**व्यवधान**)... इनकी सरकार मंदिर बनाने का नाटक करती है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; not allowed. There is no point of order in that. ...(*Interruptions*)... कोई point of order नहीं है। Now, Shri Babul Supriyo. ...(*Interruptions*)... No, no. Not allowed. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You quote the rule. I will allow you. ...(*Interruptions*)... Shri Babul Supriyo. ...(*Interruptions*)...

STATEMENTS BY MINISTERS — *Contd.*

Status of implementation of recommendations contained in the Fifth and Sixth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Urban Development

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (SHRI BABUL SUPRIYO): Sir, I make the following statements regarding:—

(i) Status of implementation of recommendations contained in the Fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Urban Development; and

(ii) Status of implementation of recommendations contained in the Sixth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2015-16) of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order? ...(*Interruptions*)... Yes, Digvijaya Singhji, what is your point of order? ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, my point of order is, hon. K. C. Tyagi was raising a very important issue which concerns the internal security of this country, and which violates the way... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the point of order?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, my point of order is, he should be allowed to complete his speech. ...(*Interruptions*)...